



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

/2018

नियारानी-3158/2018/दमोह/भू.र.

आशुतोष पाठक पुत्र स्व. श्री मनोहर

राव पाठक, निवासी- साकिन ग्राम

बाँसाकलाँ तहसील पथरिया जिला

दमोह (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

आम जनता ग्राम बाँसाकलाँ

--अनावेदक

पथरिया जिला

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, दमोह म.प्र.

द्वारा प्रकरण क्रमांक 34अ/05 वर्ष 2017-18 में

पारित आदेश पारित दिनांक 08/05/2018 के

विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा

50 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय,

आवेदक की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

1. यहकि, ग्राम बाँसाकला तहसील पथरिया जिला दमोह में स्थित भूमि बंदोबस्त पूर्व सर्वे क्रमांक 733 रकबा 9.243 हे. था। बंदोबस्त के दौरान सर्वे क्रमांक 733 से निर्मित नया नम्बर 1675 रकबा 9.17 हे. बना। उक्त बंदोबस्त दौरान निर्मित नवीन सर्वे क्रमांक में हुयी त्रुटि के कारण रकबा 0.07 हे. कम कर दिया गया।

श्री. किनोद भागीव

द्वारा आज दि. 22-5-18

प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 22-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 22.5.18

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

किनोद भागीव
एडवोकेट
ग्वालियर
22-05-2018

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 358/2018/ ~~द्वारा~~ भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/6/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया आवेदक अधिवक्ता के अनुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है वह उन्हें सुने बिना तैयार किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के आवेदन को निरस्त करने में त्रुटि की है। । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत प्रस्तुत आवेदन को यह लिखकर निरस्त किया है कि आवेदक को राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर स्पष्ट प्रतिवेदन लिए जाने का आवेदन प्रस्तुत करना था, जो नहीं किया गया जबकि उन्हें आवेदक अधिवक्ता के तर्कों को देखते हुए बोलता हुआ आदेश पारित करना था। चूंकि प्रकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः निगरानी अग्राह्य करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर पुर्नविचार कर बोलता हुआ आदेश पारित करें ।</p> <p style="text-align: right;">प्रशा0 सदस्य</p>	